छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

जुलाई-अगस्त, 2006 सत्र

गुरुवार, दिनांक 03 अगस्त, 2006

तारांकित प्रश्नोत्तर

बिलासपुर जिले में उद्योगों द्वारा निर्मित कृषि खाद की गुणवत्ता की जांच

1. (* क्र. 154) **श्री सियाराम कौशिक :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर जिले में कृषि संबंधी खाद बनाने वाले कौन-कौन से उद्योग कहां-कहां संचालित हैं ? (ख) क्या उक्त उद्योगों में निर्मित खादों की गुणबत्ता की जांच करने का प्रावधान है ? यदि हां, तो किनके द्वारा जांच की जाती है ? (ग) वर्ष 2005 एवं 2006 में किन-किन उद्योगों की खाद गुणवत्ता की जांच, कब-कब की गई है ?

कृषि मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) बिलासपुर जिले में कृषि संबंधी उर्वरक बनाने वाले उद्योग निम्नानुसार है :-
1. मेसर्स बीईसी फर्टिलाइजर्स लि., सेक्टर-ए सिरगिट्टी इण्डस्ट्रीयल एरिया, सिरगिट्टी, जिला बिलासपुर.
2. मेसर्स नर्मदा फास्फेट लि., ग्राम-हरदी, तहसील-बिल्हा, बिलासपुर.

(ख) जी हां, राज्य में संचालित उद्योगों में निर्मित उर्वरकों की गुणवत्ता जांच करने का प्रावधान उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के अंतर्गत है. जांच हेतु कृषि विभाग के उर्वरक निरीक्षक द्वारा नियमानुसार नमूने लिये जाकर उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला रायपुर, क्षेत्रीय उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला नवीं मुंबई (महाराष्ट्र) एवं केन्द्रीय उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला फरिदाबाद (हरियाणा) भेजे जाते हैं, जहां परीक्षण का कार्य किया जाता है. (ग) वर्ष 2005 में राज्य में संचालित उद्योगों के उर्वरकों के 384 नमूनों तथा वर्ष 2006 में अभी तक 313 नमूनों को परीक्षण हेतु प्रयोगशाला में भेजा गया. लिये गये नमूने एवं जांच का उद्योगवार विस्तृत विवरण † संलग्न परिशिष्ट में है.

कसडोल एवं बिलाईगढ़ विकासखण्ड में संचालित उचित मूल्य की दुकानें

2. (*क्र. 513) **श्री राजकमल सिंघानिया :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कसडोल एवं बिलाईगढ़ विकासखण्ड में कितनी उचित मूल्य की दुकानें हैं ? कितनी दुकानों का संचालन ग्रामीण सेवा सहकारी समिति, उपभोक्ता भंडार महिला स्वसहायता समूह व ग्राम पंचायत द्वारा किया जा रहा है ? अलग-अलग जानकारी प्रदान करें ?

कृषि मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : कसडोल विकासखण्ड में 75 एवं बिलाईगढ़ विकासखण्ड में 89 उचित मूल्य दुकानें संचालित हैं, जिसकी संचालनकर्ता एजेंसीवार जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	विकासखण्ड	ग्रामीण सेवा सहकारी समिति	प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार	महिला स्व-सहायता समूह	ग्राम पंचायत	कुल
1.	कसडोल	50	02	17	06	75
2.	बिलाईगढ़	57	04	12	16	89

† परिशिष्ट "एक"

ठेकेदारों को कार्य पूर्ण करने हेतु दी गई समयवृद्धि

3. (*क्र. 842) **श्री देवव्रत सिंह :** क्या राज्यमंत्री, लोक निर्माण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि खैरागढ़ लोक निर्माण संभाग के अंतर्गत किन-किन ठेकेदारों तथा निर्माण एजेंसियों को वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 में समय-सीमा में ठेके का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने पर एक्सटेंशन अथवा समयवृद्धि दी गई है ? कृपया कार्यों का नाम भी बतायें ?

राज्यमंत्री, लोक निर्माण : (श्री राजेश मूणत) : जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में है.

राष्ट्रीय राज्य मार्ग-78 के निर्माण में ठेकेदारों द्वारा अनुबंध का पालन न करने पर कार्यवाही

4. (*क्र. 104) **श्री अमरजीत भगत :** क्या राज्यमंत्री, लोक निर्माण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्ट्रीय राज मार्ग-78 अंबिकापुर सीतापुर हेतु वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में कितने राशि का प्रावधान किया गया था उसमें क्या-क्या काम किस ठेकेदार से कराया गया ? क्या नियम शर्तें एवं अनुबंध का पालन किया गया यदि नहीं, तो ठेकेदारों के खिलाफ कौन-कौन सी कार्यवाही कब-कब की गई और यदि नहीं, तो क्यों ? (ख) क्या अंबिकापुर डिविजन क्रमांक-1 के अंतर्गत कराबेल से मैनपाठ 28 किलोमीटर सड़क 6 मीटर चौड़ा बनाने का निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो उसका पालन हुआ या नहीं ?

राज्यमंत्री, लोक निर्माण (श्री राजेश मूणत) : (क) वर्षवार प्रावधानित राशि (आवंटन) -

वर्ष	आयोजना मद	आयोजनेत्तर मद
2005-06	1900 लाख	161 लाख
2006-07	600 लाख	150 लाख

ठेकेदारों से कराये गये कार्य का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में है. ठेकेदारों से अनुबंध के नियम एवं शर्तों के अनुसार ही कार्य कराया गया है अत: उनके खिलाफ कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता. (ख) सरगुजा/जशपुर विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 22-8-05 को बाल्को कम्पनी द्वारा 6 मीटर की चौड़ाई में बनाये जाने का निर्णय लिया गया है. बाल्को द्वारा कार्य प्रारंभ करने का आश्वासन दिया गया है.

गाय एवं बैलजोड़ी वितरण के संबंध में

5. (*क्र. 120) **डॉ. हरिदास भारद्वाज :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुन्द जिला अंतर्गत कितने आदिवासी परिवारों को दुधारू गाय अथवा बैलजोड़ी वितरण के लिए वर्ष 2006 की स्थिति में चिन्हित किया गया है ? (ख) 30 अप्रैल, 2006 की स्थिति में कितने हितग्राहियों को गाय एवं बैलजोड़ी वितरण किया गया ? विकासखण्डवार बतायें ? (ग) बैलजोड़ी प्रदान करने का क्या मापदण्ड है तथा कितनी राशि का तथा किस नस्ल का बैल प्रदाय करने का प्रावधान है ?

कृषि मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) महासमुन्द जिला अन्तर्गत 1503 आदिवासी परिवारों को दुधारू गाय वितरण के लिए वर्ष 2006 की स्थिति में चिन्हित किया गया है. बैलजोड़ी वितरण हेतु चिन्हित नहीं किया गया है. (ख) 30 अप्रैल, 2006 की स्थिति में केवल बागबाहरा विकासखण्ड में 1203 हितग्राहियों को गाय वितरण किया गया है. बैलजोड़ी वितरण नहीं किया गया. (ग) बैलजोड़ी प्रदान का मापदण्ड निम्नानुसार है :

1. हितग्राही चयनित विकास खण्ड का अनुसूचित जनजाति का हो जिसका नाम बी. पी. एल. सूची में दर्ज हो.
2. परिवार के पास कृषि योग्य भूमि हो.
3. बैलगाड़ी, कृषि उपकरण आदि की व्यवस्था स्वयं करने हेतु सहमत हो.

बैलजोड़ी की अधिकतम कीमत रु. 8,000.00 प्रति बैलजोड़ी निर्धारित है तथा देशी नस्ल के बैलजोड़ी प्रदाय करने का प्रावधान है.

चांपा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत धान खरीदी केन्द्रों की जानकारी

6. (*क्र. 14) **श्री मोतीलाल देवांगन :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि चांपा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत किन-किन स्थानों पर धान खरीदी केन्द्र खोले गये हैं ? प्रत्येक केन्द्र में किन-किन ग्रामों के किसान धान की बिक्री करते हैं ?

कृषि मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : खरीफ विपणन वर्ष 2005-06 के दौरान समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु चांपा विधान सभा क्षेत्र में खोले गए धान खरीदी केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले गांवों की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

शासन द्वारा निष्पादित एम. ओ. यू.

7. (*क्र. 885) **मोहम्मद अकबर :** क्या राज्यमंत्री, लोक निर्माण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 अप्रैल, 2006 से 15-07-2006 तक कौन-कौन से एवं कितनी लागत के उद्योग कहां-कहां लगाने हेतु कुल कितने एम. ओ. यू. किनके-किनके साथ किन शर्तों के अधीन कब-कब निष्पादित किए गए हैं ? इन उद्योगों को राज्य शासन की ओर से कौन-कौन सी छूट एवं रियायतें प्रदान की जाएगी ? (ख) टेक्सास पावर जनरेशन एवं फेरल इंजीनियरिंग के साथ किए गए एम. ओ. यू. के आधार पर कितना-कितना निवेश कर क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? (ग) 30-06-2006 की स्थिति में किनके-किनके साथ हुए एम. ओ. यू. की समय-सीमा समाप्त हो चुकी है ?

राज्यमंत्री, लोक निर्माण (श्री राजेश मूणत) : (क) 1 अप्रैल 2006 से उद्योग लगाने हेतु विभाग द्वारा एक भी एम. ओ. यू. निष्पादित नहीं किया गया है. (ख) मेसर्स टेक्सास पावर जनरेशन एवं फेरल इंजीनियरिंग द्वारा अभी तक कोई निवेश नहीं किया गया है. मेसर्स टेक्सास पावर जनरेशन द्वारा प्राथमिक रूप से ग्राम लारा, जिला रायगढ़ तथा ग्राम उदगम जिला बिलासपुर में भूमि चयन की गई है परन्तु भू-आवंटन हेतु विधिवत् आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है. (ग) दिनांक 30-06-2006 की स्थिति में किसी भी एम. ओ. यू. की अवधि समाप्त नहीं हुई है.

गोबरा नवापारा में महानदी पर बाढ़ नियंत्रण हेतु बजट का प्रावधान

8. (*क्र. 823) **श्री धनेन्द्र साहू :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले की गोबरा नवापारा में महानदी पर बाढ़ नियंत्रण योजना के निर्माण हेतु किस-किस वर्ष में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है ? (ख) क्या यह सही है कि उक्त योजना हेतु बजट प्रावधान होने के बावजूद उक्त योजना की प्रशासकीय स्वीकृति नहीं दी गई है ? यदि हां, तो क्यों एवं कब तक प्रशासकीय स्वीकृति दे दी जावेगी ?

जल संसाधन मंत्री (श्री हेमचंद यादव) : (क) रायपुर जिले की गोबरा नवापारा में महानदी पर बाढ़ नियंत्रण योजना के निर्माण हेतु वर्षवार राशि का प्रावधान निम्नानुसार है :-

वर्ष	प्रावधानित राशि	
	राहत मद से	योजना मद से
2002-03	165.23 लाख	निरंक
2003-04	-	निरंक
2004-05	-	30.00 लाख
2005-06	-	01.00 लाख
2006-07	-	निरंक

(ख) जी नहीं. योजना की रुपये 165.23 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है एवं पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रकरण प्रक्रियाधीन है.

पाली एवं कटघोरा विकासखण्ड की सिंचाई क्षमता में वृद्धि

9. (*क्र. 442) **श्री बोधराम कंवर :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र कटघोरा के अंतर्गत पाली एवं कटघोरा विकासखण्ड की सिंचाई क्षमता में वृद्धि करने हेतु कौन-कौन सी योजनाएं तैयार की गई है ? प्रत्येक की सिंचाई क्षमता तथा लागत क्या है ? (ख) उक्त सिंचाई योजनाएं, स्वीकृति हेतु किस स्तर पर लंबित है और क्यों ? (ग) किन-किन सिंचाई योजनाओं को 1 अप्रैल, 2005 से 30 जून, 2006 के बीच प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री हेमचंद यादव) : (क) विधान सभा क्षेत्र कटघोरा के अंतर्गत पाली एवं कटघोरा विकासखंड की सिंचाई क्षमता में वृद्धि

† परिशिष्ट "दो"

करने हेतु तैयार की गई 08 योजनाओं का विवरण † संलग्न प्रपत्र- "अ" में दर्शित है. प्रत्येक योजना की सिंचाई क्षमता व लागत का विवरण भी † संलग्न प्रपत्र- "ब" में दर्शित है. (ख) स्वीकृति हेतु विभिन्न स्तर पर लम्बित योजनाओं की जानकारी † संलग्न प्रपत्र- "ब" में है. (ग) 01 अप्रैल, 2005 से 30 जून, 2006 के बीच दो योजनाओं की (1) भलपहरी जलाशय एवं (2) बनमुड़ा जलाशय की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है.

रतनजोत जर्मप्लाज्म की चोरी संबंधी

10. (*क्र. 859) **श्री त्रिलोचन पटेल :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथारिटी ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के रतनजोत जर्मप्लाज्म की अनियमितताओं/चोरी की जांच की है ? अगर हां, तो जांच प्रतिवेदन राज्य शासन को कब मिला है ? (ख) नेशनल बायोडाइवर्सिटी के जांच प्रतिवेदन में कौन-कौन से निष्कर्ष दिये गये हैं तथा इन पर शासन ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ? (ग) कंडिका "क" की जांच के अलावा प्रकरण में राज्य शासन ने कौन सी जांच करायी है ? इनके मुख्य निष्कर्ष क्या है, और निष्कर्षों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) जी हां, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथारिटी ने "इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में रतनजोत जर्मप्लाज्म के दुरुपयोग संबंधी आरोप" विषय पर जांच की है. राज्य शासन को नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथारिटी का प्रतिवेदन दिनांक 17-4-2006 को प्राप्त हुआ. (ख) नेशनल बायोडाइवर्सिटी के जांच प्रतिवेदन में स्पष्ट निष्कर्ष नहीं दिये गये हैं तथा जांच कमेटी द्वारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में रतनजोत पर चल रहे शोध की जानकारी प्राप्त करना, विभिन्न बीज संकलन में तेल की मात्रा 31 से 48 प्रतिशत होने, सर्वाधिक तेल की मात्रा पेंड्रा रोड नामक स्थान से एकत्र किये गये बीजों में होने, 65 कृषक प्रक्षेत्रों पर प्रदर्शन करने, परियोजना प्रभारी द्वारा डी-1 आयल कम्पनी के प्रक्षेत्र को 1540 पौधे जो 28 बीज स्रोतों से तैयार किये गये हैं प्रदान करने आदि का उल्लेख है. जांच प्रतिवेदन की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है. शासन द्वारा गठित जांच कमेटी ने अपनी जांच प्रक्रिया में नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथारिटी के जांच प्रतिवेदन में उद्धृत बिन्दुओं को भी शामिल किया है. (ग) कंडिका "क" की जांच के अलावा प्रकरण में राज्य शासन ने कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की है. इस समिति द्वारा जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. जांच प्रतिवेदन शासन को प्रस्तुत नहीं किया गया है. अत: शेष जानकारी निरंक है.

राजनांदगांव में औद्योगिक क्षेत्र का चयन

11. (*क्र. 742) **श्री उदय मुदलियार :** क्या राज्यमंत्री, लोक निर्माण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास निगम द्वारा राजनांदगांव जिले में औद्योगिक क्षेत्र बनाया जा रहा है ? (ख) यदि हां, तो इस औद्योगिक क्षेत्र में किन-किन गांवों को शामिल किया जा रहा है ?

राज्यमंत्री, लोक निर्माण (श्री राजेश मूणत) : (क) जी हां. (ख) इस औद्योगिक क्षेत्र में जोरातराई, बिरेझर, फूलझर, इन्दावानी, मगरलोटा, अंजोरा एवं कोपेडीह ग्रामों को शामिल किया जा रहा है.

स्वीकृत बजट का उपयोग नहीं किए जाने बाबत

12. (*क्र. 857) **श्री लच्छूराम कश्यप :** क्या राज्यमंत्री, लोक निर्माण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर, सरगुजा, जशपुर जिले के लिए वर्ष 2004-05, 2005-06 एवं चालू वर्ष में सड़क/पुल, पुलिया निर्माण के लिए कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई ? कितनी व्यय की गई ? विकासखण्डवार जानकारी देवें ? (ख) प्रश्नांक "क" के वर्षों में स्वीकृत कितने निर्माण कार्यों की निविदा आमंत्रित नहीं की गयी ?

राज्यमंत्री, लोक निर्माण (श्री राजेश मूणत) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" , "ब", "स" में है. (ख) 15 कार्य.

किसान समृद्धि योजनांतर्गत लाभान्वित कृषकों की जानकारी

13. (*क्र. 635) **श्री गणेश शंकर बाजपेयी :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) किसान समृद्धि योजनांतर्गत बलौदा बाजार क्षेत्र के कितने कृषकों का चयन 2005-06 में किया गया है ? (ख) उक्त योजना के अंतर्गत नलकूप के विद्युतीकरण के लिए बलौदाबाजार क्षेत्र के कितने हितग्राही का चयन वर्ष 2005-06 में किया गया है ?

---

† परिशिष्ट "तीन"

कृषि मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) वर्ष 2005-06 में किसान समृद्धि योजनांतर्गत बलौदा बाजार विधान सभा क्षेत्र के 255 कृषकों का पंजीकरण किया गया है. (ख) किसान समृद्धि योजनांतर्गत विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने हेतु अभी तक 48 कृषकों के द्वारा अस्थायी कनेक्शन हेतु छ. ग. राज्य विद्युत मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं तथा उन्हें अस्थायी पंप कनेक्शन भी दिये गये हैं. इन कृषकों की सूची † संलग्न परिशिष्ट पर है. इनके अतिरिक्त 3 अन्य कृषकों के स्थाई कनेक्शन संबंधी आवेदनों पर विद्युत मण्डल द्वारा सहमति दी जा चुकी है. कृषकों द्वारा औपचारिकता पूर्ण करने पर उन्हें भी कनेक्शन दिया जायेगा.

राजनांदगांव जिले में आदिवासी उपयोजना मद से जलग्रहण मिशन अंतर्गत नाला उपचार हेतु स्वीकृत राशि

14. (*क्र. 465) **श्री रजिन्दर पाल सिंह भाटिया** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले में आदिवासी उपयोजना मद से किन-किन ग्रामों में जलग्रहण मिशन अंतर्गत नाला उपचार (बोल्डर चेक डेम) हेतु वर्ष 2003-04, 2004-05 में कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई ? विकासखण्डवार जानकारी देवें ? (ख) क्या यह सत्य है कि विकासखण्ड छूरिया के ग्राम गिधवाभंवर में हाट बंजारी नाला जलग्रहण मिशन में 2003-04 में नाला उपचार स्वीकृत व पूर्ण कार्य को आदिमजाति परियोजना मद से पुन: स्वीकृत कर राशि का भुगतान कर दिया गया ? (ग) यदि हां, तो कार्य एजेन्सी कौन थी ? मूल्यांकन व सत्यापन किसने किया दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) राजनांदगांव जिले में कृषि विभाग द्वारा जलग्रहण मिशन का कार्य संचालित नहीं किया जाता अपितु कृषि विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राजनांदगांव जिले में मद 41 से वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 में बोल्डर चेक निर्माण पर व्यय की गई राशि का विवरण †† संलग्न परिशिष्ट पर है. (ख) विकासखण्ड छूरिया के ग्राम गिधवाभंवर में हाट बंजारी नाला में कृषि विभाग द्वारा कोई कार्य नहीं कराया गया है. अपितु वर्ष 2001-02 में राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम अंतर्गत हाट बंजारी नाला जलग्रहण क्षेत्र के ग्राम गिधवाभंवर में 14 बोल्डर चेक का निर्माण राशि रुपये 59,000/- का व्यय कर किया गया है. सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी राजनांदगांव द्वारा वर्ष 2004-05 में परियोजना प्रशासक एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, राजनांदगांव से धान बंधान, गली प्लगिंग संयुक्त कार्ययोजना ग्राम गिधवाभंवर हेतु प्राप्त रु. 5.585 लाख से व्यय कर मिट्टी के बंधान (6 कृषक) 9.65 एकड़, बोल्डर चेक 39, जल संग्रहण पौण्ड 1, फार्म पौण्ड 3 का निर्माण किया गया है. उक्त कार्य में से नाला उपचार कार्य की शिकायत प्राप्त होने पर उप संचालक कृषि राजनांदगांव द्वारा सहायक मिट्टी परीक्षण अधिकारी, राजनांदगांव से जांच करायी गयी, जांच में हाट बंजारी नाला जलग्रहण मिशन में नाला उपचार कार्य को आदिमजाति परियोजना मद से पुन: स्वीकृत कर राशि भुगतान करने संबंधी शिकायत की पुष्टि नहीं हुई, अपितु परियोजना मद से स्वीकृत 39 बोल्डर चेक के विरुद्ध 9 बोल्डर चेक कम पाए गए हैं. जिससे शासन को लगभग 20,531 रुपये की हानि हुई है. (ग) जी नहीं, प्रश्नांश (ख) में वर्णित वर्ष 2004-05 में परियोजना प्रशासन एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना राजनांदगांव से ग्राम गिधवाभंवर में कराये गये कार्यों की कार्य एजेन्सी सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, उप संभाग राजनांदगांव थी. कार्य का मूल्यांकन एवं सत्यापन तत्कालीन सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी एवं कृषि विकास अधिकारी द्वारा किया गया था. जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाए गये कृषि विकास अधिकारी को निलंबित किया गया है तथा तत्कालीन सर्वेयर एवं सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी सेवानिवृत्त होने के कारण इनके विरुद्ध कार्यवाही हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है इस पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है.

हसदेव बांगो परियोजना के अधीन "टर्न-की" निविदा का अनुबंध

15. (*क्र. 217) **श्री नंदकुमार पटेल** : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हसदेव बांगो परियोजना के अधीन "टर्न-की" निविदा का अनुबंध किस तिथि को सम्पादित किया गया ? अनुबंध की राशि कितनी थी ? क्या अनुबंध के अनुसार निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण किया गया ? यदि नहीं, तो किन कारणों से कब-कब समय वृद्धि किन परिस्थितियों में दी गई ? विस्तृत जानकारी देवें ? (ख) उक्त अनुबंध के तहत क्या अंतिम देयक का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां तो, कब ? (ग) बांगो परियोजना "टर्न-की" की रूपांकित क्षमता कितनी थी ? वर्तमान में इस परियोजना से कितने रकबा भूमि की सिंचाई हो रही है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री हेमचंद यादव) : (क) हसदेव बांगो परियोजना के अधीन "टर्न की" निविदा का अनुबंध दिनांक 14-02-2002 को संपादित किया गया. अनुबंध की राशि रुपये 173.70 करोड़ थी. निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं हुआ. निजी भूमि अधिग्रहण, वन भूमि के अधिग्रहण एवं रेल्वे क्रासिंग की स्वीकृति में विलम्ब होने के फलस्वरूप दिनांक 30-7-2005 तक समयावृद्धि कार्य की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए प्रदान की गई. समयावधि वृद्धि की जानकारी परिशिष्ट में ‡ संलग्न है. (ख) अंतिम देयक का भुगतान अभी नहीं किया गया है. (ग) बांगो परियोजना "टर्न-की" की रूपांकित क्षमता लगभग 64,022 हेक्टर थी. वर्ष 2005-06 में 54,390 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की गई.

---

† परिशिष्ट "चार" †† परिशिष्ट "पांच" ‡ परिशिष्ट "छ:"

आई. पी. एस. अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति से संबंधित

16. (*क्र. 429) **श्री देवजी भाई पटेल :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भारतीय पुलिस सेवा (आई. पी. एस.) के छत्तीसगढ़ में कितने पद स्वीकृत हैं ? स्वीकृत पदों में से किस-किस केडर के (डी. आई. जी., आई. जी.) कितने-कितने पद हैं ? (ख) कंडिका "क" के कौन-कौन से अधिकारी अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर है, अधिकारी के नाम, पदनाम, विभाग की जानकारी दें ? (ग) कंडिका "ख" के ऐसे कितने अधिकारी उच्च वेतनमान वाले पदों पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए गए हैं, कहां-कहां ?

गृह मंत्री (श्री रामविचार नेता) : (क) भापुसे के 81 पद स्वीकृत हैं जिनमें पुलिस महानिरीक्षक के 5 एवं उप पुलिस महानिरीक्षक के 8 पद स्वीकृत है. (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दी गई है. (ग) श्री अशोक जुनेजा, भापुसे खेल एवं युवा कल्याण विभाग में स्वीकृत पद वेतनमान रु. 18400-400-22400 के विरुद्ध 16400-450-2000 में अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.

प्रदेश में संचालित पशु चिकित्सालय महाविद्यालय

17. (*क्र. 59) **श्री भूपेश बघेल :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कितने पशु चिकित्सा महाविद्यालय है और कब से संचालित है ? (ख) वर्तमान में प्रत्येक महाविद्यालय में छात्रों की विभिन्न श्रेणीवार कितनी-कितनी सीटें हैं ?

कृषि मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) प्रदेश में 01 पशु चिकित्सा महाविद्यालय, अंजोरा जिला दुर्ग में सितम्बर, 1985 से संचालित है. (ख) महाविद्यालय में छात्रों की विभिन्न श्रेणीवार सीटों का विवरण †† संलग्न परिशिष्ट पर है.

नदी घाटी योजना अंतर्गत स्वीकृत कार्य

18. (*क्र. 675) **श्री गुलाब सिंह :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नदी घाटी योजना प्रदेश के किस-किस जिले में कब से लागू है ? (ख) नदी घाटी योजना के तहत कोरिया जिले में कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये गये हैं ?

कृषि मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) वर्तमान में नदी घाटी योजना प्रदेश के निम्न 5 जिलों में उनके सम्मुख अंकित समय से लागू हैं -

1.	राजनांदगांव	वर्ष 1999-2000 से
2.	कबीरधाम	वर्ष 1999-2000 से
3.	दुर्ग	वर्ष 1999-2000 से
4.	बिलासपुर	वर्ष 1962-1963 से
5.	कोरिया	वर्ष 2003 -2004 से

(ख) वर्तमान में कोरिया जिले के अंतर्गत सोन कैचमेंट के जलग्रहण क्षेत्र क्रमांक- "बीएस 7 जी" के उपचार हेतु भारत शासन कृषि मंत्रालय कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा स्वीकृत कार्य की जानकारी कार्य का विवरण ‡ संलग्न परिशिष्ट पर है.

लोक निर्माण विभाग के पश्चिम बस्तर संभाग द्वारा जारी निविदा

19. (*क्र. 551) **श्री महेन्द्र कर्मा :** क्या राज्यमंत्री, लोक निर्माण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, पश्चिम बस्तर संभाग, बीजापुर द्वारा निविदा क्र.-4/व. ले. लि./05-06 दिनांक 27-04-2006 का प्रकाशन कौन-कौन से समाचार पत्रों में कब किया गया ? (ख) क्या यह सत्य है कि उक्त निविदा की समाचार पत्रों में प्रकाशन तिथि एवं निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि एक ही दिन थी ? यदि हां, तो क्यों ?

राज्यमंत्री, लोक निर्माण (श्री राजेश मूणत) : (क) दैनिक भास्कर तथा दैनिक नवभारत में दिनांक 04-05-06 को. (ख) जी हां, निविदा सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु एक सप्ताह पूर्व भेजी गई थी, परन्तु प्रकाशन में विलंब हुआ.

† परिशिष्ट "सात" †† परिशिष्ट "आठ" ‡ परिशिष्ट "नौ"

कोरबा जिले के तानाखार में हत्या के दर्ज प्रकरण पर की गई कार्यवाही

20. (*क्र. 793) **श्री रामदयाल उईके :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरबा जिला अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र तानाखार में जनवरी, 2006 से 30 जून, 2006 तक हत्या के कितने प्रकरण दर्ज किये गये ? (ख) कितने प्रकरणों की जांच की जा चुकी है ? कितने प्रकरण लंबित हैं ? (ग) लंबित प्रकरणों में जांच कब तक पूर्ण की जावेगी ? विलंब के क्या कारण है ?

गृह मंत्री (श्री राम विचार नेताम) : (क) कोरबा जिला अन्तर्गत विधान सभा तानाखार में 01 जनवरी 2006 से 30 जून 2006 तक हत्या के 06 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं. (ख) कुल 06 पंजीबद्ध प्रकरणों में 02 प्रकरणों में विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय पेश किया गया है, तथा 04 प्रकरण विवेचना में लंबित है. (ग) लंबित प्रकरण एवं विलंब के कारण की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	थाना	अपराध क्र. धारा	लंबित का कारण	विवेचना पूर्ण करने की अवधि
1.	पाली	157/06 धारा 302, 201 भादवि	विवेचना पूर्ण है. जप्तीमाल एफएसएल भेजना शेष है.	अवधि दिया जाना संभव नहीं है.
2.	बांगो	72/06 धारा 302, 34 भादवि	विवेचना पूर्ण है. जप्तीमाल एफएसएल भेजना शेष है.	--,,--
3.	पसान	37/06 धारा 302, 34 भादवि	चालान तैयार है	--,,--
4.	पसान	41/06 धारा 302 भादवि	विवेचना पूर्ण है. जप्तीमाल एफएसएल भेजना शेष है.	--,,--

पी. एम. आर. वाई. के तहत बेरोजगारों को ऋण वितरण

21. (*क्र. 853) **श्री संजय ढीढी :** क्या राज्यमंत्री, लोक निर्माण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पी. एम. आर. वाई. के तहत वित्तीय वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 में कितने आवेदन प्राप्त हुए ? जिलेवार जानकारी दें ? (ख) कितने आवेदकों को ऋण उपलब्ध कराया गया ? जिलेवार लक्ष्य क्या था ?

राज्यमंत्री, लोक निर्माण (श्री राजेश मूणत) : (क) पी. एम. आर. वाई. के तहत वित्तीय वर्ष 2004-05 में 12329 एवं 2005-06 में 12291 आवेदन पत्र प्राप्त हुए. जिलेवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ" पर दर्शित है. (ख) वित्तीय वर्ष 2004-05 में 3935 एवं 2005-06 में 4233 आवेदकों को ऋण उपलब्ध कराया गया. जिलेवार लक्ष्य की जानकारी † संलग्न प्रपत्र "ब" पर दर्शित है.

केलो बृहद जलाशय योजना की स्वीकृति

22. (*क्र. 87) **डॉ. शक्राजीत नायक :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ के केलो बृहद जलाशय योजना की कौन-कौन से विभाग या मंत्राल‍य से स्वीकृति या अनापत्ति प्राप्त होना शेष है ? (ख) केलो परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाले अंजली स्टील फैक्ट्री उजलपुर (तमनार) तथा केन्द्रीय टसर-कोषा बीज केन्द्र लाखा (रायगढ़) को डूब क्षेत्र से हटाने के लिये शासन ने क्या कार्यवाही की है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री हेमचंद यादव) : (क) रायगढ़ जिले के केलो वृहद सिंचाई परियोजना के लिये 03 केन्द्रीय मंत्रालय यथा (1) जल संसाधन मंत्रालय (2) जनजाति कल्याण मंत्रालय (3) वन तथा पर्यावरण मंत्रालय एवम् केन्द्रीय जल आयोग के 04 संचालनालयों यथा (1) केन्द्रीय मुद्रा एवं पदार्थ परीक्षण संचालनालय (2) केन्द्रीय भू-जल बोर्ड (3) कास्ट एप्राइजल संचालनालय (4) जल विज्ञान संचालनालय से स्वीकृति प्राप्त होना शेष है. (ख) केलो परियोजना के डूब से प्रभावित अंजनी स्टील फैक्ट्री, उज्जलपुर को डूब क्षेत्र से हटाने हेतु, प्रथम बार दिनांक 28-9-2004 को सूचित किया गया तथा दिनांक 14-11-2005 को स्मरण पत्र दिया गया है. केन्द्रीय टसर कोषा बीज केन्द्र, लाखा की लगभग 5.34 हेक्टर भूमि को जल संसाधन विभाग को हस्तांतरित करने हेतु दिनांक 17-11-2005 को सदस्य सचिव, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बैंगलोर को लिखा गया है.

† परिशिष्ट "दस"

निर्धारित मापदण्ड से अधिक चावल में कनकी की मिलावट पर कार्यवाही

23. (*क्र. 195) **डॉ. बालमुकुन्द देवांगन** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दुर्ग जिले में कितने कस्टम मिलों पर छापा मारकर चावल में निर्धारित मापदण्डों से अधिक कनकी मिले होने की जांच की गई तथा कितने राईस मिलों के खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज किया गया ? (ख) राज्य भंडार गृह निगम के गोदाम से कितने नमूने लिये गये तथा कितने नमूनों में कितने राईस मिलरों के कनकी युक्त चावल पाये गये तथा चावल में कनकी का प्रतिशत कितना रहा ? (ग) राईस मिलरों द्वारा एक लाट में कितने क्विंटल चावल की सप्लाई की जाती है एवं विभाग द्वारा कितने लाटों के चावलों का सैम्पल लिया गया तथा किन-किन मिलरों के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

कृषि मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) दुर्ग जिले में कस्टम मिलरों के यहां छापा नहीं मारा गया है, अत: इस परिपेक्ष्य में राईस मिलों के खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ख) माह अप्रैल, 2006 में 49 सेम्पल एवं जून, 2006 में 50 सेम्पल, कुल 99 चावल के सेम्पल राज्य भण्डारगृह निगम के गोदामों से लिए गए. उपरोक्त चावल के 99 नमूनों में से 49 नमूनों में पाए गए कनकी के प्रतिशत की राईस मिलवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार है. शेष 50 चावल के सेम्पलों में पाए गए कनकी के प्रतिशत की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार है, इनसे संबंधित राईस मिलों की जानकारी जिले में प्रदाय चावल के लाट के परीक्षण के उपरांत ज्ञात हो सकेगी. (ग) राईस मिलर्स द्वारा एक लाट में 250 क्विंटल चावल प्रदाय किया जाता है एवं विभाग द्वारा 01 अप्रैल, 2006 से 30 जून, 2006 तक राज्य भण्डारगृह निगम के दुर्ग एवं बोरई स्थित गोदामों में मिलर्स द्वारा प्रदाय किए गए 448 लाट का परीक्षण किया गया. माह अप्रैल, 2006 में लिए गए 49 नमूनों में से 40 राईस मिलर्स द्वारा प्रदाय लाट के 46 नमूनों में कनकी की मात्रा अधिक पाए जाने के कारण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" में उल्लेखित समस्त 40 मिलर्स के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. माह जून, 2006 में लिए गए शेष 50 नमूनों के चावल के लाट का परीक्षण कराने के उपरांत संबंधित राईस मिलर्स के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी.

माण्ड डायवर्सन योजना अंतर्गत सिंचाई का प्रावधान

24. (*क्र. 44) **श्री नोवेल कुमार वर्मा** : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माण्ड डायवर्सन योजना अंतर्गत रायगढ़ जिले एवं जांजगीर-चांपा जिले के विकासखण्ड डभरा के कितने-कितने क्षेत्र एवं कितने-कितने रकबा में सिंचाई होने का प्रावधान रखा गया है ? रायगढ़ एवं जांजगीर जिले का सिंचित रकबा कितना-कितना है ? ग्रामवार जानकारी प्रदान करें ? (ख) क्या कंडिका (क) योजना में वर्ष 2005-06 में सिंचित प्रावधान अंतर्गत सिंचाई का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो कितनी लक्ष्य पूर्ति करना शेष है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री हेमचंद यादव) : (क) माण्ड डायवर्सन योजना अन्तर्गत रायगढ़ जिले एवं जांजगीर-चांपा जिले के विकासखण्ड-डभरा अन्तर्गत क्रमश: 4050 हेक्टर एवं 9068 हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई किये जाने का प्रावधान रखा गया है. योजना से रायगढ़ जिले एवं जांजगीर-चांपा जिले का वर्ष 2005-06 में वास्तविक सिंचाई रकबा क्रमश: 2084 हेक्टर एवं 3424 हेक्टर है. ग्रामवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में है. (ख) जी नहीं. कुल रूपांकित सिंचाई क्षमता 13118 हेक्टर के विरुद्ध 7610 हेक्टर लक्ष्य की पूर्ति करना शेष है.

दुर्ग जिले में संचालित दाल-भात केन्द्रों की जानकारी

25. (*क्र. 796) **श्री रविन्द्र चौबे** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दुर्ग जिले में कुल कितने स्थानों पर दाल-भात सेन्टर खोले गए तथा उसमें से कितने बंद हो गए एवं 30-6-2006 की स्थिति में कितने दाल-भात सेंटर चल रहे हैं ? विकासखण्डवार जानकारी देवें ? (ख) दुर्ग जिले के साजा विकासखण्ड में प्रारंभ किए गए दाल-भात सेंटर में से बंद दाल-भात सेंटर को अंतिम बार कब तथा कितना खाद्यान्न आवंटित किया गया है ? केन्द्रवार जानकारी देवें ?

कृषि मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) दुर्ग जिले में 24 दाल-भात केन्द्र खोले गए तथा उनमें से 02 दाल-भात केन्द्र बंद हो गए हैं एवं दिनांक 30-06-2006 की स्थिति में 22 दाल-भात केन्द्र संचालित है. संचालित दाल-भात केन्द्रों की विकासखंडवार सूची † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) दुर्ग जिले के साजा विकासखण्ड में प्रारंभ किये गये दाल-भात केन्द्र में से जन-जागरण समिति, साजा द्वारा संचालित दाल-भात केन्द्र माह मार्च, 2005 से बंद है तथा इस दाल-भात केन्द्र को अंतिम बार माह फरवरी, 2005 में 27 क्विंटल चावल आवंटित किया गया.

----

† परिशिष्ट "ग्यारह"

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट ''एक''

[तारांकित प्रश्न संख्या 01 (क्र. 154) के भाग (ग) की जानकारी]

वर्ष 2005 एवं 2006 में खाद (उर्वरक) गुणवत्ता की जांच का उद्योगवार विवरण

क्र. (1)	जिला (2)	उद्योग का नाम (3)	उर्वरक का नाम (4)	नमूना संख्या (5)	मानक (6)	अमानक (7)	परिणाम अपेक्षित (8)
1.	रायपुर	पूजा बायो प्रोडक्ट, रायपुर	सूक्ष्म तत्व	1	-	-	1
		सुजाता इण्डस्ट्रीज़, केमी, रायपुर	सूक्ष्म तत्व	1	1	-	-
		छ. ग. एग्रो बायोटेक लैब, रायपुर	सूक्ष्म तत्व	2	2	-	-
		आशी बायोटेक प्रोडक्ट्स, रायपुर	सूक्ष्म तत्व	2	2	-	-
2.	रा. गांव	जयराम फास्फेट लि., फरहद (सोमनी) जिला-राजनांदगांव.	सिं. सु. फा	75	75	-	-
3.	बिलासपुर	बी. ई. सी. फर्टिलाईजर्स लि. सिरगिट्टी, जिला-बिलासपुर.	सिं. सु. फा	261	260	1	-
		--''--	एन. पी. के. मिश्रण.	35	33	2	-
		नर्मदा फास्फेट लि., ग्राम-हरदी, तहसील बिल्हा, जिला-बिलासपुर.	एन. पी. के. मिश्रण	7	5	2	-
			योग	384	378	5	
			वर्ष 2006				
1.	दुर्ग	सुहाने एग्रो इंडिया प्रा. लि. भिलाई, जिला-दुर्ग.	एन. पी. के. मिश्रण	5	5	-	-
2.	रा. गांव	जयराम फास्फेट लि., फरहद (सोमनी) जिला-राजनांदगांव.	सिं. सु. फा	126	45	5	76
3.	बिलासपुर	बी. ई. सी. फर्टिलाईजर्स लि. सिरगिट्टी, जिला-बिलासपुर.	सिं. सु. फा	135	91	-	44
		--''--	एन. पी. के. मिश्रण	43	13	-	30
		नर्मदा फास्फेट लि., ग्राम-हरदी, तहसील-बिल्हा, जिला-बिलासपुर.	एन. पी. के. मिश्रण	4	2	2	-
			योग	313	156	7	150

परिशिष्ट ''दो''

[तारांकित प्रश्न संख्या 06 (क्र. 14) की जानकारी]

क्र.		नाम समिति	खरीदी केन्द्र का नाम	ग्रामों की संख्या	खरीदी केन्द्र में शामिल ग्राम का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.		सरखों	सरखों	5	सरखों, खोखसा, खैरा, तेंदुभांठा, करमंदी
2.		महंत	महंत	3	मुनुन्द, धनेली, भड़ेसर
3.		सिवनी	सिवनी	3	सिवनी, कन्हईबंद, पाली
4.		बोडसरा	बोडसरा	3	बोंड्सरा, हाथीटीकरा, मरकाडीह
		--''--	बनारी (उपकेन्द्र)	1	बनारी
5.		अमोदा	अमोदा	4	अमोदा, भैंसदा, केवा, नवापारा
6.		धुरकोट	धुरकोट	8	धुरकोट, पचेड़ा, कसौदी, अकलतरी, भादा, पीथमपुर, गाड़ापाली, मौहाडीह.
		--''--	गौद (उपकेन्द्र)	1	गौद
7.		खोखरा	खोखरा	2	खोखरा, पुटपुरा
8.		जांजगीर	जांजगीर	6	जांजगीर, नैला, सुकली, पेन्ड्री, कनई, नवापारा
			योग	**36**	
2.	**चाम्पा**				
9.		पिसौद	पिसौद	6	पिसौद, बिरगहनी, जर्वे, उदयबंद, कुलीपोटा, देवरहा
10.		सिवनी	सिवनी	4	सिवनी, कुरदा, बहेराडीह, भदरीपाली.
11.		सोठी	सोठी	6	सोंठी, हथनेवरा, पिपरदा, पुंदेली, भंवरमाल, खपरीडीह
12.		चोरिया	चोरिया	4	चोरिया, परसापाली, संजयग्राम, मौहाभांठा
13.		कुम्हारीकला	कुम्हारीकला	7	कुम्हारीकला, अमरूवा, देवरी, पोड़ीकला, दारंग, पेटफोरवा, पोड़ीखुर्द.
14.		चाम्पा	चाम्पा	4	चाम्पा, भोजपुर, जगदल्ला, घठोली
15.		सारागांव	सारागांव	1	सारागांव
16.		कमरीद	कमरीद	3	कमरीद, कोसमंदा, जाटा
17.		मड़वा	मड़वा	7	मड़वा, बसंतपुर, लछनपुर, कुरदा, बालपुर, उच्चभिट्ठी, महुदा
18.		बम्हनीडीह	बम्हनीडीह	11	बम्हनीडीह, रोहदा, भैंरेली, सखानी, झर्रा, पचोरी, अफरीद, मुडपार, भदरा, औंराडीह, परसापाली.
19.		करनौद	करनौद	14	करनौद, नकटीडीह, कनकपुर, गोविंदा, पोड़ीशंकर, कपिस्दा, लखाली, लखुर्री, चारपारा, बड़गड़ी, सोनारडीह, मौंहाडीह, बरकुट, बोरसी.
			योग	**67**	
3.	**बाराद्वार**				
20.		सरहर	सरहर	7	सरहर, दुरपा, भोगीडीह, नवागांव, सोनियापारा, दर्रा, रिस्दा
21.		कड़ारी	कड़ारी	7	कड़ारी, पेटफोरवा, खम्हिया, झुरकाडीह, हनुमंता, लछनपुर, बघौदा.
		--''--	झरना (उपकेन्द्र)	2	झरना, दर्रीबंजर
22.		गिधौरी	गिधौरी	4	गिधौरी, कचंदा, मौहाडीह, झींका
			योग	**20**	
			कुल योग	**123**	

परिशिष्ट "तीन"

[तारांकित प्रश्न संख्या 09 (क्र. 442) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

कटघोरा विधान सभा क्षेत्र के विकासखण्ड-पाली व कटघोरा की प्रस्तावित योजनायें

स. क्र.	योजना का नाम	विकासखण्ड	अनुमानित लागत (रु. लाख में)	रूपांकित सिंचाई क्षमता (हेक्टर में)	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	कटघोरा व्यपवर्तन	कटघोरा	1526.77	1991	
2.	गंगदेई व्यपवर्तन	कटघोरा	331.61	421	
3.	तेन्दुवाही व्यपवर्तन	कटघोरा	210.00	210	
4.	कटसिरा तालाब	कटघोरा	207.00	194	
5.	मुड़ापारा तालाब	कटघोरा	118.01	101	
6.	लोटनापारा व्यपवर्तन	पाली	485.00	485	
7.	मसुरिहा तालाब	पाली	243.00	162	
8.	हरदी स्टापडेम	पाली	36.09	--	
	योग	**8**	**6730.39**	**3564**	

प्रपत्र "ब"

योजनाओं की स्वीकृति किस स्तर पर लम्बित है का विवरण

स. क्र.	योजना का नाम	विकासखण्ड	अनुमानित लागत (रु. लाख में)	रूपांकित सिंचाई क्षमता (हेक्टर में)	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	कटघोरा व्यपवर्तन	कटघोरा	1526.77	1991	प्रस्ताव शासन को दिनांक 25-7-2006 को प्राप्त. प्रस्ताव परीक्षणाधीन है.
2.	गंगदेई व्यपवर्तन	कटघोरा	331.61	421	प्रस्ताव शासन को दिनांक 25-7-2006 को प्राप्त. प्रस्ताव परीक्षणाधीन है.
3.	तेन्दुवाही व्यपवर्तन	कटघोरा	210.00	210	कार्यपालन अभियंता स्तर पर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है.
4.	कटसिरा तालाब	कटघोरा	207.00	194	योजना वर्ष 2006-07 के बजट में शामिल नहीं है. तकनीकी बिन्दुओं का निराकरण मुख्य अभियंता स्तर पर प्रक्रियाधीन है.
5.	मुड़ापारा तालाब	कटघोरा	118.01	101	तकनीकी बिन्दुओं का निराकरण मुख्य अभियंता से अपेक्षित.
6.	लोटनापारा व्यपवर्तन	पाली	485.00	485	कार्यपालन अभियंता स्तर पर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है.
7.	मसुरिहा तालाब	पाली	243.00	162	कार्यपालन अभियंता स्तर पर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है.
8.	हरदी स्टापडेम	पाली	36.09	--	आदिमजाति कल्याण विभाग से दिनांक 24-7-2006 को वापस, योजना वर्ष 2006-07 के बजट में शामिल नहीं है. तत्सम्बन्ध में आदिमजाति कल्याण विभाग की टीप से मुख्य अभियंता को अवगत कराया जा रहा है.
		योग 8	**6730.39**	**3564**	

परिशिष्ट ''चार''

[तारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 635) के भाग (ख) की जानकारी]

वर्ष 2005-06 में किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत चयनित हितग्राहियों में से ऐसे कृषकों की सूची, जिनके आवेदन पर उन्हें अस्थाई पम्प कनेक्शन दिये गये हैं

क्रमांक (1)	कृषक का नाम सर्वश्री (2)	ग्राम (3)	विकासखण्ड (4)
1.	सदरू रावत	बीजाभाट	भाटापारा
2.	राजाराम	चमारगुड़ा	भाटापारा
3.	पीलू राम ध्रुव	रामपुर	भाटापारा
4.	गुजन करिया	गुर्रा	भाटापारा
5.	चेतन बंजारे	चमारगुड़ा	भाटापारा
6.	रामसिंह ध्रुव	रमदैया	भाटापारा
7.	चन्दूलाल साहू	मोपर	भाटापारा
8.	नन्द कुमार साहू	मोपर	भाटापारा
9.	हेमंत कुमार	मोपर	भाटापारा
10.	संतोष कुमार	मोपर	भाटापारा
11.	सुभे लाल	मोपर	भाटापारा
12.	अश्वनी कुमार वर्मा	मल्दी	भाटापारा
13.	खोरबाहरा	सरगीपार	ब. बाजार
14.	लखनलाल	खैहा	ब. बाजार
15.	तेजराम	खम्हरिया	ब. बाजार
16.	मनमोहन	छुईहा	ब. बाजार
17.	कृपाराम	सलौनी	ब. बाजार
18.	रामसेवक	करमाडीह	ब. बाजार
19.	पुसउ	सलौनी	ब. बाजार
20.	श्रीमति भारती	देवरी	ब. बाजार
21.	श्रीमति इंदल बाई	ढनढनी	ब. बाजार
22.	नरेन्द्र कुमार	ठेलकी	ब. बाजार
23.	किशन राम	ढाबाडीह	ब. बाजार
24.	प्रदीप कुमार	परसाभदर	ब. बाजार
25.	धनुष कुमार	शुकलाभाठा	ब. बाजार
26.	डोमन लाल	मुढ़ीपार	ब. बाजार
27.	सुरेन्द्र कुमार	मुढ़ीपार	ब. बाजार
28.	अनिल कुम्हार	परसाभदर	ब. बाजार
29.	जगमोहन	खैरवारडीह	ब. बाजार
30.	लखन	मुढ़ीपार	ब. बाजार
31.	श्रीमति दशोदा बाई	ढनढनी	ब. बाजार
32.	श्रीमति श्याम बाई	लटुआ	ब. बाजार
33.	रामकुमार	अर्जनी	ब. बाजार
34.	पीतांबर	बेमेतरा	ब. बाजार
35.	श्रीमति सुरूचि बाई	पुरेना खपरी	ब. बाजार
36.	हरमन	पौसरी	ब. बाजार
37.	खिलेश्वर	गैतरा	ब. बाजार
38.	खेमलाल	रावण	सिमगा
39.	धनीराम	केसली	सिमगा
40.	कृपाराम	करही	सिमगा

(1)	(2)	(3)	(4)
41.	हरबंश	करही	सिमगा
42.	प्यारेलाल	बिटकुली	सिमगा
43.	बाबूलाल	जांगड़ा	सिमगा
44.	द्वारदास	बिलईडबरी	सिमगा
45.	डाकेश्वर बघेल	बिटकुली	सिमगा
46.	राकेश कुमार	बिटकुली	सिमगा
47.	ठगियाबाई	लोहारी	सिमगा
48.	चन्द्रशेखर	बिटकुली	सिमगा

परिशिष्ट "पांच"

[तारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 465) के भाग (क) की जानकारी]

राजनांदगांव जिले में मद 41 से वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 में बोल्डर चेक निर्माण पर व्यय की गई राशि का विवरण

क्रमांक	विकासखण्ड	रा. ज. ग्र. समिति का नाम	ग्राम का नाम	2003-04		2004-05	
				संख्या	व्यय राशि	संख्या	व्यय राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	चौकी	कुसुमकला	साल्हें	41	110482	-	-
	—"—			-		38	75300
2.	खडगांव	खडगांव	मानपुर	32	102300	-	-
3.	झरन	झरन	मोहला	19	47400	-	-
	योग	-	-	**92**	**260182**	**38**	**75300**

परिशिष्ट ''छ:''

[तारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 217) के भाग (क) की जानकारी]

''टर्न-की'' निविदा के लिये 30-7-2005 तक ठेकेदार को दिये गये समयावधि का विवरण

स. क्र. (1)	समयावृद्धि का विवरण (2)	समयावधि वृद्धि का दिनांक (3)
1.	प्रथम समयावधि दिनांक 15-02-2004 तक (9 माह)	दिनांक 07-06-2003
2.	द्वितीय समयावधि दिनांक 30-04-2004 तक (2 माह)	दिनांक 31-03-2004
3.	तृतीय समयावधि दिनांक 30-06-2004 तक (2 माह)	दिनांक 02-06-2004
4.	चतुर्थ समयावधि दिनांक 31-12-2004 तक (6 माह)	दिनांक 22-9-2004
5.	पंचम समयावधि दिनांक 31-03-2005 तक (3 माह)	दिनांक 22-03-2005
6.	षष्ठम समयावधि दिनांक 30-07-2005 तक (4 माह)	दिनांक 31-08-2005

परिशिष्ट ''सात''

[तारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 429) के भाग (ख) की जानकारी]

छत्तीसगढ़ राज्य के निम्नलिखित भा. पु. से. अधिकारीगण प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं :—

केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर :—

1. श्री विश्वरंजन, भापुसे,
अति. निदेशक आसूचना ब्यूरो, मुख्यालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली.

2. श्री प्रवीण महेन्द्रु भापुसे,
संयुक्त निदेशक आसूचना ब्यूरो, मुख्यालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली.

3. श्री बी. के. सिंह, भापुसे,
उप निदेशक, आसूचना ब्यूरो, मुख्यालय,नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली.

4. श्री स्वागत दास, भापुसे,
उप निदेशक, आसूचना ब्यूरो, मुख्यालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली.

5. श्री रवि सिन्हा, उप सचिव,
कैबिनेट सेक्रेटरिएट (रॉ) बीकानेर हाउस एनेक्सी, शाहजहां रोड, नई दिल्ली.

6. श्री जयदीप सिंह, भापुसे. ओ.एस.डी.,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली.

राज्य प्रतिनियुक्ति पर :—

1. श्री बी. दुबे, भापुसे., महानिदेशक,
होमगार्ड एवं जेल, छ.ग., रायपुर.

2. श्री राजीव माथुर, भापुसे., संचालक,
लोक अभियोजन, छत्तीसगढ़, रायपुर.

3. श्री एस. सी. अत्रे, भापुसे., सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, रायपुर.

4. श्री वाई. के. एस. ठाकुर, भापुसे., अतिरिक्त
परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर.

5. श्री आनंद तिवारी, भापुसे.,
पुलिस महानिरीक्षक, रा. आ. अ. अ. ब्यूरो, रायपुर.

6. श्री अशोक जुनेजा, भापुसे, संचालक,
खेल एवं युवक कल्याण, छ. ग., रायपुर एवं उमनि, पुलिस मुख्यालय, रायपुर.

7. श्री राहुल शर्मा, भापुसे.,
राज्यपाल के परिसहाय, रायपुर.

8. श्री बी. पी. एस. पौषार्य, भापुसे., पुलिस अधीक्षक,
मानव अधिकार आयोग, छ. ग., रायपुर.

परिशिष्ट ''आठ''

[तारांकित प्रश्न संख्या 17 (क्र. 59) के भाग (ख) की जानकारी]

पशु चिकित्सा महाविद्यालय, अंजोरा, जिला दुर्ग में छात्रों की विभिन्न श्रेणीवार सीटों का विवरण

स्नातक कोर्स हेतु :—

क्र. (1)	वर्ग (2)	खुली स्पर्धा (ओ.सी.) अनारक्षित सामान्य (3)	अनुसूचित जाति (एस. सी.) (4)	अनु. जनजाति (एस. टी.) (5)	अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) (6)	भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् (7)	विभागीय कोटा (8)
1.	बिना वर्ग के (X)	12	03	05	03	05	04
2.	महिला (F)	05	02	02	02	–	–
3.	कृषक (K)	–	–	01	–	–	–
4.	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी.	01	–	–	–	–	–
	योग	**18**	**05**	**08**	**05**	**05**	**04**

स्नातकोत्तर कोर्स हेतु :—

क्र. (1)	वर्ग (2)	खुली स्पर्धा (ओ.सी.) अनारक्षित सामान्य (3)	अनुसूचित जाति (एस. सी.) (4)	अनु. जनजाति (एस. टी.) (5)	अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) (6)	भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् (7)	विभागीय कोटा (8)
1.		20	06	07	05	–	–
	योग	**20**	**06**	**07**	**05**	**-**	**-**
	महायोग	**38**	**11**	**15**	**10**	**05**	**04**

परिशिष्ट ''नौ''

[तारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्र. 675) के भाग (ख) की जानकारी]

नदी घाटी/बाढ़ उन्मुख योजनांतर्गत कोरिया जिले के अंतर्गत आने वाले जलग्रहण क्षेत्र क्रमांक Bs 7 G का भारत शासन द्वारा भूमिवार स्वीकृत कार्य

क्रमांक (1)	भूमि का प्रकार (2)	भौतिक (3)	वित्तीय (लाख में) (4)
1.	**कृषि भूमि उपचार**		
	वानस्पतिक कार्य (हे. में)	270	5.465
	जल निकासी नाली उपचार (संख्या/हेक्टर)	93/98	14.210
	योग कृषि भूमि	**93/367**	**19.675**
2.	**वन भूमि उपचार**		
	वानस्पतिक कार्य (हे. में)	600	23.334
	जल निकासी नाली उपचार (संख्या/हेक्टर)	80/379	22.366
	योग वन भूमि	**80/979**	**45.70**
3.	**पड़त भूमि उपचार**		
	वानस्पतिक कार्य (हे. में)	150	9.07
	जल निकासी नाली उपचार (संख्या/हेक्टर)	61/272	20.616
	योग पड़त भूमि	**61/422**	**29.633**
4.	**भूमि उपयोग नियोजन**	-	0.27
	कुल योग (संख्या/हेक्टर)	**234/1769**	**95.278**

परिशिष्ट ''दस''

[तारांकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 853) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र ''अ''

क्र.	जिले का नाम	जिलेवार प्राप्त आवेदन पत्र	
		वर्ष 2004-05	वर्ष 2005-06
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	रायपुर	2533	2266
2.	दुर्ग	1682	1501
3.	बिलासपुर	1094	1043
4.	सरगुजा	1064	1135
5.	रायगढ़	832	791
6.	जशपुर	400	458
7.	मनेन्द्रगढ़ (कोरिया)	322	352
8.	जांजगीर-चांपा	500	485
9.	कोरबा	432	467
10.	राजनांदगांव	750	827
11.	महासमुन्द	764	835
12.	धमतरी	619	654
13.	कबीरधाम (कवर्धा)	431	433
14.	जगदलपुर	431	478
15.	उ.ब. कांकेर	354	432
16.	द. ब. दन्तेवाड़ा	121	134
	योग	**12329**	**12291**

प्रपत्र "ब"

क्रमांक	जिले का नाम	लक्ष्य		ऋणप्राप्त करने वाले आवेदकों की संख्या	
		वर्ष 2004-05	वर्ष 2005-06	वर्ष 2004-05	वर्ष 2005-06
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	रायपुर	1090	1237	603	608
2.	दुर्ग	1090	1237	453	431
3.	बिलासपुर	535	620	429	494
4.	सरगुजा	427	484	348	310
5.	रायगढ़	380	430	304	324
6.	जशपुर	240	272	163	210
7.	मनेन्द्रगढ़ (कोरिया)	240	240	138	125
8.	जांजगीर-चांपा	186	220	154	184
9.	कोरबा	186	220	160	201
10.	राजनांदगांव	320	362	245	258
11.	महासमुन्द	320	362	249	245
12.	धमतरी	270	306	174	196
13.	कबीरधाम (कवर्धा)	212	240	138	163
14.	जगदलपुर	212	240	172	220
15.	उ. ब. कांकेर	212	240	152	200
16.	द. ब. दन्तेवाड़ा	80	90	53	64
	योग	**6000**	**6800**	**3935**	**4233**

परिशिष्ट "ग्यारह"

[तारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 796) के भाग (क) की जानकारी]

जिला-दुर्ग में संचालित अन्नपूर्णा दाल-भात केन्द्र की जानकारी

क्र. (1)	केन्द्र का नाम (2)	विकासखण्ड का नाम (3)	केन्द्र संचालन करने वाले संस्था/व्यक्ति का नाम (4)
1.	बस स्टैण्ड सुपेला	दुर्ग	लोकार्पण परिसर सुपेला
2.	नया बस स्टैण्ड दुर्ग	दुर्ग	विक्ट्री युवा मंच
3.	बालोद	बालोद	युवा झेरिया यादव समाज
4.	गुरूर	गुरूर	महिला युवा संघ कोलिहामार गुरूर, स्व सहायता समूह
5.	बस स्टैण्ड डौण्डी	डौण्डी	नया दुर्गा उत्सव समिति डौण्डी
6.	डौण्डी लोहारा	डौण्डी लोहारा	हल्बा समाज
7.	साजा	साजा	श्रीमती चंदा बाई
8.	पाटन	पाटन	महिला स्व सहायता समूह, श्रीमती उपासना चन्द्राकर, पाटन
9.	गुण्डरदेही	गुण्डरदेही	श्री राकेश साहू
10.	बेमेतरा	बेमेतरा	को. आदित्य आनंद वाहिनी संस्था
11.	दुर्ग (धमधा नाका)	दुर्ग	प्रियजन विकलांग समूह (संतोष यादव)
12.	धमधा	धमधा	जैन युवक मंडल धमधा
13.	जेवरा (ग्रामीण)	दुर्ग	धनवंतरी स्वयं सहायता समूह जेवरा
14.	नंदनी रोड भिलाई	दुर्ग	शिव शक्ति महिला मंडल औद्योगिक नगर केन्द्र
15.	नया बस स्टैण्ड, राजहरा	डौण्डी	जागृति भैया बैंक सुदामानगर राजहरा
16.	बस स्टैण्ड, अहिवारा	धमधा	जनहित समिति अहिवारा
17.	जामुल	दुर्ग	जन जागरण कल्याण समिति ए. सी. सी
18.	खुर्सीपार गेट, भिलाई	दुर्ग	मानव सेवा केन्द्र, खुर्सीपार, भिलाई
19.	ट्रांसपोर्ट नगर हथखोज	दुर्ग	समता युवा समिति ट्रांसपोर्ट नगर, हथखोज
20.	बेरला	बेरला	अध्यक्ष जय गंगा मैया स्व सहायता समूह, बेरला
21.	पावर हाऊस (बस स्टैण्ड)	दुर्ग	शिव शक्ति महिला जन जागरण, भिलाई
22.	दुर्ग (चण्डी चौक नयापारा) रोड दुर्ग.	दुर्ग	शिव जन कल्याण स्व सहायता समूह, दुर्ग